ज्ञान तत्व अंक 141

(क) ग्रामीण रोजगार गारंटी के विरूद्ध संगठित षड्यंत्र ।

(ख) **श्री राजीव भगवन, झांसी, उत्तर प्रदेश जी का जाती और धर्म प्रश्न और मेरा उत्तर**

(ग) श्री हरीश मेखुरी, गोपेश्वर, चमेली, उत्तराखण्ड का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) **श्री कृष्ण कुमार जी खन्ना, मेरठ, उत्तर प्रदेश का प्रश्न और मेरा उत्तर।**

(च) **आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकस्वराज्य मंच, दिल्ली का नेहरू जी की आलोचना पर प्रश्न और मेरा उत्तर ।**

(छ) व्यवस्था परिवर्तन हमारी सक्रियता–श्री महावीर सिंह नोएडा का विचार ।

(ज) लोक स्वराज्य मंच मथुरा जिला कार्य समिति की घोषणा

(क) ग्रामीण रोजगार गारंटी के विरूद्ध संगठित षड्यंत्र

वैसे तो सम्पूर्ण विश्व में ही आसुरी प्रवृत्तियां मजबूत हो रही हैं, किन्तु भारत में इनकी गति बहुत तीव्र है। आसरी प्रवृत्ति के लोग लगातार मजबूत हो रहे हैं। राजनैतिक व्यवस्था ने समाज व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करके उस पर अपना अधिकार कर लिया है। एक मूल्यांकन के अनुसार भारत की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था शरीफों, गरीबों, श्रम जीवियों के विरूद्ध अपराधियों, बुद्धिजीवियों तथा पुंजीपतियों का खुला षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में हमारी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता या स्वीकृति है। हम लगातार प्रयत्न करके बीमारी को ही इलाज के रूप में प्रस्तुत करते रहते है।

इस शोषण में आर्थिक असमानता और श्रम शोषण बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक असमानता और श्रम शोषण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हुए भी कुछ अलग है। पुंजीवादी देशों में आर्थिक असमानता बहुत अधिक होते हुए भी श्रम शोषण नहीं के बराबर है। अमेरिका में एक मजदूर का न्यूनतम श्रम मूल्य पचास किलों अनाज है। लीबिया में सत्तर किलों बताया जाता है। भारत में अभी आधे भारत में मात्र 6 किलो के करीब है। यदि भारत गरीब देश होता जैसा कि चालीस वर्ष पूर्व था तब तो श्रम जीवियों की ऐसी खराब स्थिति को शोषण न मानकर त्याग माना जाता और वह त्याग उनके लिए गर्व की बात होती। किन्तु जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने की तैयारी कर रहा हो, जब भारत में विकास दर आठ प्रतिशत के आस–पास हो, जब भारत में वृद्धि का मूल्य बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा हो उस स्थिति में भी यदि श्रम का मूल्य न बढ़े तब विश्वास होता है कि किसी षड्यंत्र के तहत् श्रम का शोषण हो रहा है। भारत का श्रमजीवी ऐसे ही षड्यंत्र का शिकार है।

पूंजीवादी की श्रम शोषण में लिप्तता स्वाभाविक मानी जाती है। किन्तु जब से साम्यवाद ने बुद्धिजीवियों का नेतृत्व सम्हाला तब से बुद्धिजीवियों वर्ग भी श्रम शोषण के नये–नये तरीके खोजने लगा है। श्रम शोषण के मुख्य तीन सिद्धान्त खोजे गये।

कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण, 2– न्यूनतम श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी घोषणाएं, 3– शिक्षा को विकास के साथ जोड़ना। पूंजीवादी समाज व्यवस्था श्रम शोषण में इसलिए लिप्त रहती है क्योंकि वह पूंजीपतियों की संतुष्टि और सहायता पर ही आगे बढ़ती है। दूसरी ओर साम्यवादियों की यह मजबूरी है कि यदि आर्थिक असमानता और श्रम शोषण कम हो जावे तो उनके सत्ता संघर्ष का आधार ही खतम हो सकता है। पूंजीवाद से राजनैतिक संघर्ष के लिए गरीब और श्रमिक असंतोष का बढ़ना वामपंथियों की सैद्धान्तिक मजबूरी है। जो उन्हें न चाहते हुए भी करनी पड़ती है क्योंकि यही असंतोष विस्तार तो उनका आधार है। यही कारण है कि साम्यवादी या वामपंथी इन तीन मुद्दों पर श्रम विरोधी नीतियों का विस्तार भी करते रहते हैं और श्रमजीवियों को यह समझाने का षड्यंत्र भी जारी रखते हैं कि ये तीनों नीतियां श्रम सहायक हैं। आज भारत का हर वामपंथी कृत्रिम

ऊर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करने में सबसे आगे रहता है यहां तक कि एक पैसा भी मूल्य बढ़े तो वह सड़क पर आकर छाती पीटना शुरू कर देता है। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग उनकी इस मांग पर या तो चुप रहता है या हल्का विरोध करके स्वीकार कर लेता है। आज तक पूंजीवादी अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जीने वामपंथी मांग को मनमोहन सरकार तुरंत मान लेती है।

ऐसा ही मामला शिक्षा का भी है और न्यूनतम श्रम मूल्य का भी। दोनों ही मुद्दों पर श्रम जीवियों की आंखों में गुलाबजल डालकर उन्हें भगवान के दर्शन होने का विश्वास तो वामपंथी दिलाते हैं और पूंजीवादी एजेन्ट मनमोहन सरकार उनकी मांग तुरंत मान लेती है।

भारत में पहली बार वामपंथिों से भूल हुई कि उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर जोर दिया और सरकार ने उसे लागू कर दिया। मैंने दो वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि यह योजना श्रमजीवियों के पक्ष में अब तक का एकमात्र ईमानदार प्रयत्न है। उस समय बुद्धि जीवियों ने कई प्रयत्न किये किन्तु योजना नहीं रूकी। फिर भी यह योजना पूंजीपतियों तथा बुद्धिजीवियों को पूरी तरह खटक ही रही थी। वामपंथियों को भी आभास हो गया कि यह येाजना श्रमिक असंतोष में बाधक होगी। दूसरी ओर नासमझ सोनिया मनमोहन जोड़ी इस योजना को महत्वाकांक्षी घोषित करके कार्यान्वयन के लिए दृढ़ थे। इसलिए चोर दरवाजे से योजना को निष्प्रभावी करने के प्रयत्न शुरू किये गये जिनमें अधिकांश बुद्धिजीवियों शामिल हो गये, वामपंथी लोग चुप हो गये और मनमोहन सोनिया गांधी इस षड्यंत्र को समझ ही नहीं पाये। षड्यंत्र के चार भाग किये गये।

1– **इस योजना को मुद्रा स्फीति से अलग रखना**। मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति का अलग–अलग अस्तित्व होता है। सरकारें समय–समय पर इन्हें शस्त्र के रूप में उपयोगी करती हैं। वर्तमान समय में भारत में प्रति वर्ष औसत साढ़े चार प्रतिशत मुद्रास्फीति है जो निरंतर जारी है और चक्रवृद्धि रूप में बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि तीन वर्षो में यह करीब पंद्रह प्रतिशत प्रभाव डालती है। यदि तीन वर्ष पूर्व न्यूनतम श्रम मूल्य साठ रू. था तो आज वह नौ रूपये बढ़कर भी उतना ही माना जाएगा। भारत की विकास दर आठ प्रतिशत है। यदि यह विकास जोड़ दें तब तो श्रम मूल्य बहुत बढ़ जाएगा किन्तु यदि गरीबों और श्रमजीवियों के भाग्य में एक प्रतिशत विकास दर भी मान लें तो कुल मिलाकर उन्नीस प्रतिशत मूल्य बढ़ने चाहिए थे। किन्तु एक ओर तो भारत सरकार इस योजना को विस्तार देने की अपनी पीठ थपथपा रही है दूसरी ओर इसका मूल्य संशोधित न करके इसे प्रभावहीन भी बनाने का षड्यंत्र कर रही है। भारत के सभी राजनेता या बुद्धिजीवी अच्छी तरह जानते हैं कि तीन चार वर्षो में मुद्रा स्फीति स्वयं ही श्रम मूल्य को उस कृत्रिम स्तर पर ला खड़ा करेगी जिसका श्रम शोषण पर कोई प्रभाव पड़ना बन्द हो जाएगा और सरकार बिना एक पैसा खर्च किये ही भारत को पूर्ण रोजगार प्राप्त घोषित कर सकेगी।

2– **कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण**। भारत के सभी वामपंथी दक्षिणपंथी पूरा प्रयत्न करके कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि को रोक रहे हैं, क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि श्रम की मांग भी बढ़ाती है और मूल्य भी। यह मूल्य वृद्धि बुद्धिजीवियों पूंजीपतियों पर बहुत घातक प्रभाव डालती है।

3– **शिक्षा पर बजट में वृद्धि**। यदि शिक्षा जैसे मुद्दों पर भारी बजट खर्च करा दिया जावे तो रोजगार गारंटी योजना अपने आप फ्लाप हेस सकती है। भारत के सभी शिक्षा शास्त्रियों तथा अर्थ शास्त्रियों ने चुपचाप यह समझ लिया कि रोजगार गारंटी योजना का विरोध न उचित है न संभव। इसलिए पूरी ताकत शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बजट विस्तार पर जोर देने में लगा दी जावे। मनमोहन सिंह जी स्वयं भी वैसे ही शिक्षा शास्त्री अर्थशास्त्री है जिन्हें श्रमशास्त्र के प्रति न कोई जानकारी है न भावना। इन्होंने आसानी से छः प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च करने की स्वीकृति दे दी और जिसके परिणाम स्वरूप श्रम सहायता के बजट पर छुरी चलाना इनकी मजबूरी होना स्वाभाविक है।

4– **श्रम और कृषक के बीच टकराव पैदा करना**। यह काम सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें कृषक के मन में कूट–कूट कर भर दिया जाता है कि श्रम मूल्य वृद्धि या कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि किसानों के लिए हानिकारक है, जबकि यह बात पूरी तरह असत्य है क्योंकि कृषि मूल्य की घोषणा लागत वृद्धि को ध्यान में रखकर की जाती है। अनाज की कीमतें रोक कर रखने के लिए यह प्रपंच होता है। पिछले एक वर्ष से सभी राजनैतिक दल गुप्त रूप से इसकी तैयारी में लगे थे। पिछले

माह भारत के अधिकांश प्रदेशों की सरकारों ने केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कारण बढ़े श्रम मूल्य के कारण कृषि उत्पादन पर पड़े दुष्प्रभाव की चर्चा की गई है। केन्द्र सरकार ने भी इस रिपोर्ट को आधार बनाकर एक अध्ययन दल बनाना तय कर लिया है। आश्चर्य की बात है कि इस षड्यंत्र में सभी विचारधाराओं की सरकारें शामिल हैं और केन्द्र सरकार भी इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है।

यह एक स्थापित सत्य है कि जब तक श्रम के साथ न्याय नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। श्रम को बहला फुसला कर कुछ समय तक ही ठगा जा सकता है किन्तु सदा के लिये नहीं। इस पाप में सभी विचारधाराओं के राजनीतिक दल शामिल हैं भले ही उनके अलग–अलग स्वार्थ ही क्यों न हों। श्रम शोषण तथा आर्थिक असमानता न प्राकृतिक समस्या है न ही कोई परिस्थिति जन्य समस्या। यह तो पूरी तरह पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों का एक मिला जुला षड्यंत्र हैं जिसमें भिन्न–भिन्न राजनैतिक उद्देश्यों के लिए भिन्न–भिन्न राजनैतिक दल शामिल है। इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ आवश्यक है अन्यथा निरीह श्रम इसी तरह हमेशा छला जाता रहेगा और हम चालाकी से श्रमजीवियों की रोटी लेकर उसका एक छोटा टुकड़ा उसे खिलाने का अहसान पूरा करते रहेंगे।

प्रश्नोत्तर

(ख) – **श्री राजीव भगवन, झांसी, उत्तर प्रदेश**

प्रश्न– बहुत दुःख की बात है कि आप जैसे विद्वान ने अपने लेख अहिंसा सामाजिक आवश्यकता या संस्कार में इस्लाम, नक्सलवाद, सिख और संघ परिवार को एक श्रेणी में रखा और हिन्दू, जैन, बौद्ध, गांधीवादियों के साथ ईसाइयों को जोड़कर अपने ज्ञान का खोखलापन प्रमाणित कर दिया। दुनिया ईसाइयों की शान्ति को जानती है। आप भी जानते होंगे। किन्तु आपने इसाइयों को शान्ति प्रिय की श्रेणी में रखा यह सोच बिल्कुल गलत है। मुझे इसाइयों के षड्यंत्रों की विस्तृत जानकारी है। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है।

उत्तर– मैंने अपने एक पुराने लेख में लिखा है कि धर्म प्रचार के मुख्य तीन मार्ग अपनाये जाते हैं। 1– विचार मंथन, 2– सेवा और सहायता, 3– संगठन शक्ति। हिन्दू संस्कृति पहले की पक्षधर है, ईसायत दूसरे की ओर इस्लाम तीसरे की। जब धर्म और राज्य का घालमेल होता है तब उसने आने वाली विकृति भिन्न विषय है। मैंने इसाई धर्म प्रचार के तरीके को आदर्श नहीं माना है किन्तु हम धर्म प्रचार के तरीके पर कोई मंथन न करके सिर्फ हिंसा की मनोवृत्ति पर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मैंने इसाई चिन्तन को अहिंसा समर्थक की श्रेणी में शामिल किया है। इस संबंध में यदि मेरी सोच गलत है तो आप अपने विस्तृत विचार भेंजे तो आगे विचार मंथन की प्रकिया आगे बढ़ेगी।

सोच मेरी गलत है या आपकी यह अभी से नहीं का जा सकता। आगे मंथन जारी रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

(ग) – **श्री हरीश मेखुरी, गोपेश्वर, चमेली, उत्तराखण्ड**

आपका पत्र मिला। आपने शुल्क के अभाव में ज्ञान तत्व बन्द करने की सूचना दी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ किन्तु मजबूरी है। मैं न तो ज्ञानतत्व के लाभ से वंचित होना चाहता हूँ न ही शुल्क की क्षमता है। बीच का कोई मार्ग निकालिए।

ज्ञानतत्व कोई पत्रिका न होकर विचार संग्रह है। हर अंक संग्रह करने योग्य है। विश्वस्तर के विचार सहज सरल भाषा में अन्यत्र दुर्लभ है। एक अंक भी नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि कुछ खो गया। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप पत्रिका बन्द न करें।

आपने जुलाई एक से पंद्रह के पृष्ठ चौबीस पर असर अली जी इंजीनियरिंग को प्रसिद्ध गांधीवादी और धर्म निरपेक्ष लिखा जो पूरी तरह असत्य है। मैं असगर अली जी का छात्र रहा हूँ। मैंने कक्षा में बैठकर बरसों उनके विचार सुने हैं। मैं पूरी तरह जानता हूँ कि धर्म निरपेक्षता से उनका कभी कोई संबंध नहीं रहा। पता नहीं आपने कैसे उन्हें गांधीवादी तक मान लिया जब कि गांधी जी अपने सम्पूर्ण जीवन में धर्म निरपेक्ष रहे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भूल सुधार कर लें।

उत्तर– शुल्क न भेजनें वालों को पत्रिका बन्द करना मेरी इच्छा न होकर मजबूरी है। पचास रूपये से सौ रूपये वार्षिक या पांच सौ रूपया आजीवन शुल्क मात्र ही तो है। ऐसी स्थिति में हमारे पास बीच का मार्ग नहीं है।

फिर भी आपकी मजबूरी का विशेष ख्याल रखकर हम आपकी पत्रिका विशेष कोटे से जारी रख रहे हैं। जब तक संभव होगा तब तक जारी रखने का प्रयास करेंगे।

आप असगर जी के शिष्य रहें हैं। मैं तो उन्हें जानता नहीं किन्तु सर्वोदय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उनका भाषण सुनकर उन्हें गांधीवादी और धर्मनिरपेक्ष मान लिया। बाद में आतंकवाद के संदेह में पुलिस कार्यवाही के विरूद्ध पैरवी में उनकी भूमिका पढ़ी तो उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास देखकर अपने निर्णय पर संदेह व्यक्त कर दिया। मैं स्वयं नही कह सकता कि असगर अली जी क्या है। भविष्य में उनके कार्य ही प्रमाणित करेंगे।

(घ) – **श्री कृष्ण कुमार जी खन्ना, मेरठ, उत्तर प्रदेश**

प्रश्न– ज्ञानतत्व के माध्यम से आपके विचार मिलते रहते हैं। आपकी इस बात से सहमति है कि देश का कानूनी ढांचा बदलना चाहिए किन्तु आपके सम्पूर्ण चिन्तन से यह स्पष्ट नही है कि कैसे बदलेगा?

17–10 को जन्तर–मन्तर पर प्रदर्शन की सूचना मिली। मेरी समझ में उस गूंगे बहरे जन्तर–मन्तर पर प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे मेरठ शहर के न्यायालयों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के उस समय के मुख्य न्यायाधीश को कई बार पत्र लिखे परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके विपरीत किसी न्यायाधींश के भ्रष्टाचार के विरूद्ध लिखने पर चार पत्रकारों को जरूर चार–चार माह की सजा हो गई। यदि हम आवाज ही उठाना चाहते हैं तो हम जन्तर–मन्तर की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें तो मेरी पूरी सहभागिता रहेगी।

देश की नई व्यवस्था के कुछ आधार बिन्दु हो सकते हैं–

1– पूरे राष्ट्र में नागरिकों के बीच में आय का अंतर 1:10 से ज्यादा न हो ताकि सारे नागरिकों को रोटी–कपड़ा–मकान–शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके।

2– क– शिक्षा सब के लिए समान

ख– बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृ–भाषा या राष्ट्रभाषा हो।

ग– हर विद्यार्थी के लिए दो घंटे का शरीर श्रम जरूरी, सफाई कार्य को प्राथमिकता दी जाये, जिससे कि देश साफ सुथरा रह सके।

3– न्याय सरल, न्याय पंचायतों व लोक अदालतों द्वारा,

4–चुनाव शांत मौन और बिना खर्च के सम्पन्न हों

ख– चुनाव घोषित होने पर जलसे–जुलूस बन्द, इश्तहार–झंडे आदि लगाना तथा दीवारों पर लिखना बन्द किया जावें।

ग– जीतने वाले के बाद दूसरे क्रम पर आने वाला अपने क्षेत्र का लोकपाल स्वतः नियुक्त हो ताकि 50 प्रतिशत से अधिक मतों का उपयोग हो सके।

5– सरकार व बाजार के कार्यो में सूचना के अधिकार द्वारा पारदर्शिता।

6– सम्पत्ति संग्रह की सीमा निर्धारित की जाये।

उत्तर– आपके पत्र के तीन भाग है–

1– व्यवस्था कैसे बदलेगी?

2– न्यायालयों के भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रदर्शन।

3– नई व्यवस्था के आधार बिन्दुओं पर कानूनी ढांचा बदलने की मांग। हम तीनों पर विचार करें।

लगता है कि व्यवस्था का अर्थ समझने में ही मतभेद है। आप भ्रष्टाचार असमान शिक्षा, श्रम से दूरी, विलम्बित न्याय, असीम सम्पत्ति संग्रह आदि को दूषित व्यवस्था का कारण मानकर इनके समाधान के लिए आंदोलन करना चाहते हैं किन्तु मैं इन सबकों वर्तमान अव्यवस्था, कुव्यवस्था का

कारण न मानकर परिणाम मानता हूँ। यदि मूल कारण को न समझ कर सिर्फ परिणामों या लक्षणों का ही इलाज हुआ तो समाधान नहीं निकलेगा। सबसे पहले यह तय करना होगा कि व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा संचालित है या व्यक्ति व्यवस्था द्वारा संचालित है। मेरे विचार से व्यवस्था का संचालन व्यक्ति करता है और नियंत्रण व्यवस्था। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था का दुरूपयोग करता है तो उस व्यक्ति का किसी ऊपर वाली व्यवस्था के अन्तर्गत ही नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण दूसरे व्यक्ति करते हैं जिन पर किसी और ऊपर वाली व्यवस्था का नियंत्रण होता है। यह क्रम ऊपर जाते–जाते तानाशाही में किसी व्यक्ति तक जाकर समाप्त हो जाता है और लोकतंत्र में व्यवस्था तक। लोकतंत्र में इस सर्वोच्च व्यवस्था के ऊपर सिर्फ संविधान होता है जो सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का नहीं। सबसे पहली हमारी भूल हो रही है कि हम व्यक्ति को चरित्र पतन का दोषी मानकर उसके चरित्र निर्माण का सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब कि चरित्र पतन के लिए व्यवस्था में दोष है कि जिसे हम समझ ही नहीं रहे। भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था तीन अंगों के सामंजस्य पर संचालित हैं– 1–विधायिका 2– कार्यपालिका 3– न्यायपालिका। यदि ये तीनों सामंजस्य न करके अव्यवस्था पैदा करें तो संविधान उन पर नियंत्रण करेगा और यदि सविधान भी नियंत्रण न कर पाये तब समाज संविधान संशोधन के माध्यम से इन तीनों को व्यवस्थित करेगा। संविधान बनाते समय कुछ मजबूरियों के कारण समाज का प्रतिनिधित्व राजनेताओं ने किया। इन लोगों ने पक्षपात पूर्वक विधायिका को शक्तिशाली बना दिया जिसके दुष्परिणाम हम आज भूगत रहे हैं।

भारत की मूल समस्याएं तीन हैं– 1– समाज और राज्य के बीच अधिकारों के अनुपात का लगातार राजनेताओं के पक्ष में बढ़ना और समाज के पक्ष में घटना।

2– धनवान और धनहीन के बीच धन के अनुपात का लगातार धनवानों के पक्ष में बढ़ना। 3– बुद्धि और श्रम के बीच सुविधाओं के अनुपात का लगातार बुद्धि के पक्ष में बढ़ना। आपने समान शिक्षा का मुद्दा उठाया है। तीन असमानताओं में से किस असमानता का समाधान हो सकता है समान शिक्षा से? क्या न्यायालयों का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? क्या समान शिक्षा के बाद राजनीति अधिकारों का केन्द्रीयकरण बन्द कर देगी? ये सब बातें उस समय तो ठीक हैं जब दोष व्यवस्था का न होकर व्यक्तियों का हो। उस समय तो हम ऊपर वाली व्यवस्था को मदद करके नीचे वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं किन्तु जब सर्वोच्च व्यवस्था ही उच्चश्रृंखल हो तब आप किसकी मदद करेंगे? ये समान शिक्षा और समान रोजगार समान धन आदि के लोक लुभावन नारे सत्ता संघर्ष के आधार बने हुए हैं जिससे आपका कोई मतलब नहीं। फिर क्यों संघर्ष के की सहायता से पीछे हटकर देख रहे हैं।

आपने मेरठ के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत जिस जगह पर की थी उन पर आरोप लगे जिसकी जांच कराने में न्यायालय पीछे भाग रहा है। अब आप उसके विरूद्ध आंदोलन की बात कह रहे हैं जिसका अर्थ है कि इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका की अपेक्षा अधिक दोषी है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के अनेक मजबूत आरोपों के बाद भी मैं इस मत का हूँ कि व्यवस्था के तीनों अंग समान दोषी है और यदि किसी एक को चुनना आवश्यक ही हो तो मैं विधायिका को अन्य दो की अपेक्षा अधिक दोषी मानता हूँ। आप न्यायालयों के भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन चला रहे हैं उसमें मेरी न कोई रूचि है न अरूचि क्योंकि मैं इस भ्रष्टाचार को अव्यवस्था का परिणाम मानता हूँ कारण नहीं। कारण हम लोगों ने खोज लिया है जिस पर लगातार जन–जागरण जारी है।

आपने नई व्यवस्था के कुछ परिणाम बताये हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। नई व्यवस्था में कई प्रकार के अच्छे परिणाम दिखेंगे। किन्तु पहली बात यह है कि पहले परिणाम की बात करें या पहले व्यवस्था बदलनें की? मैं चाहता हूँ कि पहले व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन करें। अन्य सब मुद्दों को आन्दोलन से हटकर चर्चाओं तक सीमित करें। अव्यवस्था के लिए व्यवस्था की नीतियां जिम्मेदार नहीं है बल्कि नीयत जिम्मेदार है। इनकी नीयत पर चोट करने की आवश्यकता है। गलती से हम इनकी नीतियों के विरूद्ध सोचना शुरू कर देते हैं जिसके कारण भटकाव आ जाता

है। दूसरी बात है कि हम व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष का आधार बनाने की अपेक्षा व्यक्ति परिवर्तन के काम में लग जाते हैं जो साठ वर्षो तक करने के बाद भी हम पीछे ही जा रहे हैं।

आपने पूछा है कि यह कार्य कैसे पूरा होगा। मैंने इस विषय पर सोचा है और निष्कर्ष निकाला है कि यह कार्य उसी रास्ते से पूरा होगा जो रास्ता आपने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए चुना है। अर्थात् जन–जागरण, आन्दोलन और अहिंसक संघर्ष। मार्ग आपका और मेरा एक ही है। सिर्फ लक्ष्य में फर्क है। मैं राजनैतिक सत्ता के केन्द्रीयकरण, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण बौद्धिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के विरूद्ध अपने आंदोलन को केन्द्रित करना चाहता हूँ। इन तीन प्रकार के केन्द्रीयकरणों के विरूद्ध एक समन्वित संघर्ष शुरू हो उसकी शुरूआत जन्तर–मन्तर से लोक स्वराज्य मंच और श्रमशोषण मुक्ति अभियान के बैनर तले हो रही है। मेरा इस आंदोलन के समर्थन सहयोग है। आप जो कर रहे हैं वह कार्य मेरी प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे है। फिर भी आपके प्रयत्नों को मेरा पूरा समर्थन है भले ही मै सहयोग करने की स्थिति में नही हूँ।

मैंने कुछ विस्तार से स्थिति स्पष्ट की है। आशा है कि आप अपने पत्र पर फिर से नये परिप्रेक्ष्य में विचार करके पत्र लिखने की कृपा करेंगे।

(च) – **आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकस्वराज्य मंच, दिल्ली**

प्रश्न– मैं लम्बे समय से ज्ञानतत्व पढ़ रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि अनेक मुद्दों पर आपके विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। किन्तु जब भी आप भी भारतीय राजनीति की चर्चा करते हैं तब आप नेहरू जी की आलोचना अवश्य करते हैं जिसका अर्थ होता है कि आपके मन में नेहरू की अपेक्षा पटेल के प्रति अधिक अच्छा भाव है। यदि ऐसा है तो आप खुलकर व्यक्त करें जिससे अधिक खुली चर्चा हो।

उत्तर– व्यक्तियों की कई श्रेणियां होती है। कोई व्यक्ति ऊपर वाली श्रेणी से बुरा है इसका यह अर्थ नहीं कि वह नीचे वाली श्रेणियों से अच्छा नहीं है। हम लोगों की यह कमजोरी होती है कि हम व्यक्तियों को अच्छा या बुरा घोषित कर देते हैं। हमें व्यक्ति की अच्छाइयों और बुराईयों को सापेक्ष मानकर तुलना करनी चाहिए। मैंने स्वतंत्रता के समय की राज्य व्यवस्था में नेहरू जी की कई जगह आलोचना की है। यह आलोचना सरदार पटेल की तुलना में नहीं की गई बल्कि गांधी की तुलना में की गई। भारतीय राजनीति में गांधी हत्या के बाद जो चला वह नेहरूवादी राज्य व्यवस्था मानी जाती है और वह व्यवस्था आज तक चल रही है। इस व्यवस्था में पटेल, अम्बेडकर, आदि सब सहयोगी रहे हैं। मैंने कभी नेहरू जी की अपेक्षा पटेल की प्रशंसा नहीं की। भारतीय शासन व्यवस्था में सरदार पटेल बालिग मताधिकार के विरूद्ध थे और सीमित मताधिकार के पक्षधर। मैं बालिग मताधिकार से भी आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्र मताधिकार का पक्षधर हूँ। ऐसा व्यक्ति नेहरू की अपेक्षा पटेल का पक्षधर हो ही नहीं सकता। यदि नेहरू जी के स्थान पर पटेल प्रधान मंत्री होते तो भले ही अव्यवस्था कम होती किन्तु लोकतंत्र खतरे में आ सकता था। मैं ऐसी धारणा नहीं रखता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेहरू जी की आलोचना को गांधी जी की तुलना में समझने का प्रयत्न करें, पटेल जी की तुलना में नहीं क्योंकि पटेल जी और नेहरू जी की प्रणाली में ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि पटेल जी की सोच नेहरू जी की सोच से अधिक गड़बड़ है।

(छ) <u>व्यवस्था परिवर्तन में हमारी सकियता</u>

यहां पर हम एक नये विचार मंच संगठन, व्यवस्था परिवर्तन अभियान के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं। जिसके जनक एवं मार्ग दर्शक श्री बजरंग मुनि हमारे बीच विद्यमान हैं। समय एवं परिस्थितिनुसार यह एक क्रान्तिदर्शी एवं प्रगतिशील विचार है, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। फिर भी हमें इस विचार को सदैव जांचने एवं परखने की जरूरत रहेगी और साथ–साथ एक मजबूत संगठन बनाने की। गतिशील विचार में एक चुम्बकीय शक्ति होती है, जो दूसरे विचार के लोगों को भी अपनी और खींचती व जोड़ती रहती है।

यह विचार लोगों को उपयुक्त दिखाई देता है तथा भिन्न–भिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता, व्यवस्था परिवर्तन अभियान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह आज सभी की भूख की जरूरत है। जिस प्रकार

स्वतंत्रता आंदोलन से सभी तबके व विचारों के लोग जुड़ गये थे, परन्तु आधी–अधूरी आजादी मिलने के बाद सब लोग व्यापक दृष्टिकोण व क्रांतिदर्शिता के अभाव में बिखर गये। वर्तमान संविधान द्वारा ही देश की आज यह दशा हुई है। जिसके कारण सत्ता के केन्द्रियकरण से समाज के पास कोई शक्ति व अधिकार शेष नहीं रह गये हैं।

व्यवस्था परिवर्तन द्वारा नये समाज की रचना करनी है, ऐसे समाज की जिसमें स्वतंत्रता, समानता व भाई–चारा हो। व्यवस्था परिवर्तन भी गलत हाथों में पकड़कर आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेगा, जैसा कि पूर्व में महात्मा गांधी व श्रद्धेय जयप्रकाश नारायन द्वारा किये गये प्रयत्न विफल रहे। अतः हमें आगे पूर्ण सर्तकता एवं सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा।

दूसरे आज यह कार्य आसान नहीं है, क्योकि जागृतिक षड्यंत्र द्वारा समाज का मनोबल एवं चरित्रबल नष्ट कर दिया गया है, जबकि बिना त्याग व तपस्या में कोई मूल्यवान वस्तु हासिल नहीं होती। हम लोगों में भी कितने कार्यकर्ता कसौटी पर खरे उतरते हैं? यह कहना आसान नहीं है। जन–जागृति व युवाशक्ति के बिना यह अभियान सफल नहीं होगा। परन्तु इस विपरीत परिस्थिति में प्रदुषण, असमानता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अन्याय एवं अत्याचार के कारण आम आदमी का जीवन जीना दुर्लभ होता जा रहा है, जिसके कारण लोग सोचने के लिए मजबूर हो गये हैं और कुछ करने को बाध्य। अतः एक प्रकार से परिस्थिति अनुकूल भी है, जिसका लाभ उठाने के लिए द्रुत–गति से जन–जागरण व मजबूत संगठन खड़ा करने की जरूरत है। छात्रों, नवयुवकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों व सभी वर्गो के बीच जाकर कार्य करना है तथा तूफान खड़ा करना है। परन्तु जोश व होश के साथ।

तीसरे यह देश व समाज का कार्य है, किसी एक का काम नहीं। बजरंग मुनि आगे आये और यह विचार दिया, यह समाज का अहोभाग्य है। हम सबके भी पण्यों का फल है कि इस शुभ काम में लगने का अवसर हाथ लगा है। जब नये पुराने कार्यकर्ता अपनी क्षमता, योग्यता एवं शारिरिक, मानसिक व बौद्धिक शक्ति के अनुसार तन–मन–धन द्वारा मिलजुल कर एक परिवार के सदस्य की भांति कार्य करेंगे। ऐसी आशा एवं अपेक्षा के साथ।

एक और बात। आज हम आपात काल की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीवन व मरण का प्रश्न है, हम सबके आगे। अतः हमें अन्य कार्यो को स्थगित करके वरीयता के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में योगदान देना होगा। हां कुछ समय हम अपनी मूल संस्थाओं में चरित्र–निर्माण का कार्य कर सकते हैं। निष्ठावन एवं चरित्रवान व्यक्ति ही व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, अतः व्यक्तिगत तौर पर चारित्रय गठन का कार्य तो करना ही होगा, परन्तु साथ–साथ व्यवस्था परिवर्तन के कार्य का अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बिना चरित्र निर्माण का कार्य शिथिल होता जायेगा, जो एक दिन नष्ट भी हो सकता है। अतः मेरी राय में दोनों कार्य साथ–साथ चले, तो अच्छा होगा।

महावीर सिंह, नोयडा

(ज) लोक स्वराज्य मंच

मथुरा जिला कार्य समिति की घोषणा

लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय महा सचिव दीनानाथ बर्णवाल ने मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज की सहमति से मथुरा जिला कार्य समिति की घोषणा की है।

नव गठित कार्य समिति में श्री बृजमोहन सिंह राणा अध्यक्ष, श्री पूरन सिंह राघव एवं श्री भैरों सिंह वशिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री करण सिंह बघेल, श्री गंगा श्याम, श्रीमती गंगा देवी, श्री हरिसिंह ओवरसीयर, उपाध्यक्ष, श्री सतीश राघव वरिष्ठ महासचिव, श्री भजन सिंह सिसौदिया, श्री गिरवर सिंह, महासचिव, एडवोकेट द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी संगठन मंत्री, श्री मदन मोहन मिश्र कार्यालय मंत्री, श्री पूरन सिंह सिसौदिया, समारोह मंत्री, श्री तपन कुमार सांवत कोषाध्यक्ष, श्री विष्णु पहलवान प्रचार–प्रसार मंत्री तथा श्री विजेन्द्र सिंह कुशवाहा, श्रीमती कल्पना सांवत व श्री सोहन लाल शर्मा,

श्री जगदीश सिंह गहलोत, श्री द्वारिका प्रसाद वैश्य, एवं श्री रामनारायण सिंह को कार्य समिति का सदस्य मनोनित किया।

इस अवसर पर श्री दीनानाथ वर्णवाल ने कहा कि नव गठित कमेटी से लोक स्वराज्य मंच के दो सूत्री संविधान संशोधन अभियान को बल मिलेगा।